

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 04/2021

दायर दिनांक 11.01.2021

उनवान

1. लक्ष्मण पुत्र बाला जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर

– वादी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र नारायण जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर
2. बदरी पुत्र शंकर जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर
3. भगवतीबाई पुत्री नारायण पत्नि मनोहर जाति मेहर नि. भुमाडा तह.बकानी
4. रामचन्द्र पि. बाला जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर
5. सुरेश पुत्र डालीबाई जाति मेहर निवासी डुगरगांव तहसील सुसनेर म.प्र.
6. साँवरिया पुत्र डालीबाई जाति मेहर निवासी डुगरगांव तह. सुसनेर म.प्र.
7. व्यवस्थापक आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा झालावाड़
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 91, 53, 88, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण –

अभिभाषक वादी – श्री मसूद अहमद खान

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1, 2, 5 – श्री ईश्वरसिंह

प्रतिवादी सं. 3 से 7 – एकतरफा

निर्णय

दिनांक 09.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 91, 53, 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम परासली तहसील रायपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 194 की आराजी ख.न. 613 रकबा 0.0379 गै. मु.चाह व ख.न. 614 रकबा 1.4543 हैक्टेयर के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.06.2025 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत




उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)



रखते हुए राजस्थान काफ़्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/830 दिनांक 02.07.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण उभयपक्ष की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम परासली तहसील रायपुर की जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 194 की आराजी ख.न. 613 रकबा 0.0379 गै.मु.चाह व ख.न. 614 रकबा 1.4543 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार रायपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।


क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	लक्ष्मण पुत्र बाला जाति मेहर नि. परासली रहन ICICI झालवाड	614/3	0.2360	माल अलीफ
2	रामचन्द्र पि. बाला जाति मेहर नि. परासली	614/2	0.2361	माल अलीफ
3	घनश्याम पुत्र नारायण हि. 1/3 जगदीश पुत्र डालीबाई हि. 1/9 सुरेश पुत्र डालीबाई हि. 1/9 साँवरिया पुत्र डालीबाई हि. 1/9 भगवतीबाई पुत्री नारायण हि. 1/3 जाति मेहर नि. परासली	614/1	0.4721	माल अलीफ
4	बदरी पुत्र शंकर जाति मेहर नि. परासली रहन विजया बैंक झालरापाटन	614/4	0.4722	माल अलीफ
5	रामचन्द्र पि. बाला हि. 1/4 लक्ष्मण पुत्र बाला हि. 1/4 रहन ICICI झालवाड घनश्याम पुत्र नारायण हि. 1/6 जगदीश पुत्र डालीबाई हि. 1/18 सुरेश पुत्र डालीबाई हि. 1/18 साँवरिया पुत्र डालीबाई हि. 1/18 भगवतीबाई पुत्री नारायण हि. 1/6 जाति मेहर नि. परासली	613	0.0379	गे.मु.चाह



तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजरच रिकार्ड में अमल दरामद करें।
फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले
न्यायालय में सुनाया गया।




09/7/25
(दिनेश कुमार मीणा, आरएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़वा
पिड़वा, जिला इलाहाबाद, राज.।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 04/2021

दायर दिनांक 11.01.2021

उनवान

1. लक्ष्मण पुत्र बाला जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर

– वादी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र नारायण जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर
2. बदरी पुत्र शंकर जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर
3. भगवतीबाई पुत्री नारायण पत्नि मनोहर जाति मेहर नि. भुमाडा तह.बकानी
4. रामचन्द्र पि. बाला जाति मेहर नि. परासली तहसील रायपुर
5. सुरेश पुत्र डालीबाई जाति मेहर निवासी डुगरगांव तहसील सुसनेर म.प्र.
6. साँवरिया पुत्र डालीबाई जाति मेहर निवासी डुगरगांव तह. सुसनेर म.प्र.
7. व्यवस्थापक आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा झालावाड़
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 91, 53, 88, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण –

अभिभाषक वादी – श्री मसूद अहमद खान

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1, 2 – श्री ईश्वरसिंह

प्रतिवादी सं. 3 से 7 – एकतरफा

मिनजानित मुदई रूबरूX.....मिनजाबिन


मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि – इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम परासली तहसील रायपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 194 की आराजी ख.न. 613 रकबा 0.0379 गै. मु.चाह व ख.न. 614 रकबा 1.4543 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार रायपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)




क्र.	खातेदार का नाम	ख0न0	रकबा है.	किरम
1	लक्ष्मण पुत्र बाला जाति मेहर नि. परासली रहन ICICI झालवाड	614/3	0.2360	माल अलीफ
2	रामचन्द्र पि. बाला जाति मेहर नि. परासली	614/2	0.2361	माल अलीफ
3	घनश्याम पुत्र नारायण हि. 1/3 जगदीश पुत्र डालीबाई हि. 1/9 सुरेश पुत्र डालीबाई हि. 1/9 साँवरिया पुत्र डालीबाई हि. 1/9 भगवतीबाई पुत्री नारायण हि. 1/3 जाति मेहर नि. परासली	614/1	0.4721	माल अलीफ
4	बदरी पुत्र शंकर जाति मेहर नि. परासली रहन विजया बैंक झालरापाटन	614/4	0.4722	माल अलीफ
5	रामचन्द्र पि. बाला हि. 1/4 लक्ष्मण पुत्र बाला हि. 1/4 रहन ICICI झालवाड घनश्याम पुत्र नारायण हि. 1/6 जगदीश पुत्र डालीबाई हि. 1/18 सुरेश पुत्र डालीबाई हि. 1/18 साँवरिया पुत्र डालीबाई हि. 1/18 भगवतीबाई पुत्री नारायण हि. 1/6 जाति मेहर नि. परासली	613	0.0379	गे.मु.चाह

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।


09/7/25
(दिनेश कुमार) (पीणा, आर.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

निजX.....मुबालिक.....X.....बावत् खर्चा इस मुकदमें के सूद वपारह
X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....X.....अदा करूंगा।
मेरे हस्ताक्षर व मुहर से आज दिनांक 09.07.2025 को जारी किया गया।


उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बावत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बावत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान



उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड (राज०)
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)